उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

संख्या–3888–अ.प्र.–04/पाकालि/2012–1–जी.ई.(छ:)/80 दिनांकः 31 दिसम्बर, 2012.

कार्यालय ज्ञाप

अवर अभियन्ता पद से सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति सम्बन्धी कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3530–अ0प्र0–07/2012–09–अ0प्र0–07/12, दिनांक 20 दिसम्बर, 2012, के अनुसार अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओ की सूची में क्रमांक–02 पर अंकित सहायक अभियन्ता माह दिसम्बर 2012 में सेवानिवृत्ति होगें। कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2131–अ.प्र.–04/पाकालि/2011–1–जी.ई.(छ:)/80 दिनांक 13.09.2011 एवं संख्या–3020–अ.प्र.–04/पाकालि/2012–1–जी.ई.(छ:)/80 दिनांक 22.08.2012 के अनुक्रम में निवर्तन वय प्राप्त होने पर नवप्रोन्नत सहायक अभियन्ता उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. की सेवाओं से उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को सेवानिवृत्त होंगः–

क्रम सं.	नवप्रोन्नत सहायक अभियन्ता का नाम	अभिज्ञान संख्या	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	**इं0 कुलदीप सिंह**	**2012216**	**25.12.1952**	**31.12.2012**

उपरोक्त आदेश सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को स्तम्भ–5 में दर्शित उनकी सेवानिवृत्ति तिथि तक सेवा में बने रहने का अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। संगत विनियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें लोकहित में उक्त तिथि के पूर्व कभी भी सेवानिवृत्त किया जा सकता है। किसी कारणवश उपरोक्त सूची में नाम सम्मिलित होने से रह जाने पर भी अधिवर्षता वय प्राप्त कर चुके सहायक अभियन्ता का यह व्यक्तिगत दायित्व है कि वह बिना किसी अग्रेतर आदेश/निर्देश की प्रतीक्षा किये, नियत तिथि को सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त हो जाये। साथ ही साथ, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि सूचित की जा रही तिथि से पहले पड़ती है, तो वास्तविक व सही तिथि को सेवानिवृत्त होना स्वयं अधिकारी की विधिक जिम्मेदारी होगी।

प्रबन्ध निदेशक

संख्याः 3888–(1)अ.प्र.–04/पाकालि/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि, पो0–डी0एल0डब्लू0, वाराणसी।
2. निदेशक (कार्मिक), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (आपरेशन/प्रोजेक्ट), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा–प्रणाली), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ
5. संयुक्त सचिव (अनुशासनिक कार्यवाही), उ.प्र.पावर कारपोरेशन लि., शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के विरूद्ध लम्बित विभागीय कार्यवाही/जांच इत्यादि, यदि कोई हो, को यथासमय पूर्णतः निर्णीत कराने की व्यवस्था करने का कष्ट करें, जिससे कि अधिकारियों के नैवृत्तिक लाभों की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब न हो।
6. अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटराइजेशन इकाई, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त कार्यालय ज्ञाप की प्रति वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. अधिशासी अभियन्ता, 400 के0वी0, विद्युत क्षेत्रीय नियंत्रणालय (ए0एल0डी0एस0) सारनाथ वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश की प्रति सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. अनुभाग अधिकारी (अ0प्र0–03/अ0प्र0–07), उ.प्र.पावर कारपोरेशन लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
9. सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/सूचना पट, उ.प्र. पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।

नोट– *सम्बन्धित सहायक अभियन्ता से अपेक्षा है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने निवास स्थान का पूरा पता (नाम, अभिज्ञान संख्या, मकान नम्बर, गली, मोहल्ला, शहर, जिला, पिन कोड नम्बर आदि) पत्राचार हेतु कारपोरेशन मुख्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।*

आज्ञा से

(मोहम्मद सगीर)
उप सचिव (अ0प्र0–04)